न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या **349/2022**

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. आदूराम पुत्र नैनाराम 2. उदाराम पुत्र सुरताराम 3. ओमाराम पुत्र खेताराम 4. कोजाराम पुत्र बुद्धाराम 5. गीता पत्नी सिमरथाराम 6. तुलछाराम पुत्र जेठाराम 7. रामूराम पुत्र जेठाराम 8. जालाराम पुत्र हुकमाराम 9. तेजाराम पुत्र भैराराम 10. तोगाराम पुत्र बुद्धाराम 11. देवाराम पुत्र रूपाराम 12. दीपाराम पुत्र बुद्धाराम 13. धोकलराम पुत्र नैनाराम 14. पनाराम पुत्र बुद्धाराम 15. पाबूराम पुत्र चैनाराम 16. बगताराम पुत्र बुद्धाराम 17. बाबूराम पुत्र हुकमाराम 18. बालीदेवी पत्नी रूपाराम 19. बिरमाराम पुत्र बुद्धाराम 20. भूराराम पुत्र रूपाराम 21. भंवराराम पुत्र हुकमाराम 22. माधाराम पुत्र सुरताराम 23. मोतीराम पुत्र नैनाराम 24. सिमरथाराम पुत्र सुखाराम 25. तीलाराम पुत्र सुखाराम 26. रेंवतराम पुत्र सुखाराम 27. भोजाराम पुत्र सुखाराम 28. हरजीराम पुत्र सुरताराम जातियान– जाट निवासी– ग्राम रामसर लोडता अचलावता, तहसील सेखाला, जोधपुर।		1. हिराराम पुत्र जीयाराम के कायम मुकामः– 1/1 कसुम्बीदेवी पत्नी स्व. हीराराम 1/2 खेताराम पुत्र स्व. हीराराम 2. भंवराराम पुत्र लिखमाराम 3. माधाराम पुत्र लिखमाराम 4. चनणाराम पुत्र लिखमाराम 5. चुनी पत्नी लिखमाराम जातियान– जाट निवासी– ग्राम रामनगर, तहसील सेखाला, जोधपुर। 6. टीकूराम पुत्र जवाराराम 7. ओमप्रकाश पुत्र टीकूराम 8. प्रेमाराम पुत्र टीकूराम जातियान– जाट निवासी– ग्राम गोदेलाई, तहसील सेखाला, जोधपुर। 9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.10.2021 जो उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या संख्या 17/2021 अनवान हिराराम वगैराह बनाम राज0 सरकार में पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता, अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री लादूराम पूनिया, श्री अशोक पूनिया, अधिववक्ता, रेस्पो.सं. 1 ता 8 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 9 की ओर से।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 17 जुलाई, 2023

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ता 8 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रामसर के ख0सं0 571/1 के रकबा 116 बीघा 06 बिस्वा का राजस्व नक्शा व रकबा के अनुसार मौके पर मौजूद

स्थाई सीमा चिन्हों से नाप कर मौके पर पत्थरगढी की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सेखाला की टिप्पणी प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिनांक 11.10.2021 को खसरा संख्या 571/1 की पत्थरगगढी करने का आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यात्मक कानूनी व विधिक भूल की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस ने दिनांक 8.2.2021 को केवल तहसीलदार सेखाला को ही पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी तहसीलदार सेखाला से वस्तुस्थिति तलब की गई। जिस पर तहसीलदार सेखाला ने प्रार्थना पत्र के पुश्त पर ही यह अंकित कर दिया कि ' निवेदन है कि प्रार्थीगण हिराराम वगैराह ग्राम रामसर में स्थित खेत ख0सं0 571/1 रकबा 116.06 बीघा का सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। ख0सं0 571/1 के पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उक्त खसरे की पत्थरगढी करवाई जाती है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।' ऐसे में तहसीलदार सेखाला की टिप्पणी से स्पष्ट है कि उन्हें पत्थरगढी करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पडौसी खातेदारों को सूचित किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जो विधि विपरित होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त खसरान भूमि के पडौसी/हितबद्ध खातेदारान को सूचित किये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस की कृषि भूमि के बीच पुरानी माठ बनी हुई है। ऐसे में अपीलान्टस को भी पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना चाहिये था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2021 को निरस्त किया जावें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वह विधि अनुकूल एवं विधिक प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया जिसमें रेस्पोडेन्टस की खातेदारी वाले खसरान भूमि के पत्थरगढी किये जाने का निर्देश प्रसारित किया गया है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि की पूर्व में 3–4 बार मौके पर पैमाइश करवाई जा चुकी है जिसमें दिनंक 1.6.2022 को एक गठित टीम में द्वारा सेटलमेन्ट के नक्शें से पैमाइश की गई है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि किसी खातेदार को अपनी भूमि की पैमाइश करवाने, सीमाज्ञान करवाने एवं पक्की नेखमबन्दी/पत्थरगढी करवाने का विधिक अधिकार है और उसी के तहत रेस्पोडेन्टस के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया और तहसीलदार को पक्षकार बनाया गया था जिनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं बताई। तत्पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए उक्त खसरान भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये हे जो विधि अनुकूल उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि न्यायालय चाहे तो वह ग्राम रामसर के खसरा संख्या 570/1 व 571/1 की पैमाइश उभय पक्षकारान की उपस्थिति में एवं तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर उन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.10.2021 का एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो आदि का अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में मात्र तहसीलदार, बालेसर वर्तमान तहसीलदार सेखाला को ही पार्टी बनाया गया है। वकुलान फरिकेन ग्राम रामसर तहसील सेखाला के खसरा संख्या 570/1 व 571/1 की उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पैमाइश व तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी कराने हेतु सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, बालेसर के निर्णय दिनांक 11.10.2021 में आंशिक संशोधन करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि ग्राम रामसर तहसील सेखाला के खसरा संख्या 570/1 व 571/1 की नियमानुसार पैमाइश उभय पक्षकारान की उपस्थिति में की जावे तत्पश्चात विधिवत पत्थरगढी सम्बन्धी कार्यवाही की जावें। निर्णय आज दिनांक 17 जुलाई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर